न्यायालय सिविल जज (जू0डि0),लखीमपुर–खीरी।
प्रा0 दी0 सं0–833/2015
शकुन्तला अग्रवाल बनाम मोहित अग्रवाल

निर्णय जरिए संधिपत्र

19–1–17

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। आज पत्रावली संधिपत्र का0सं0 31क1 के निस्तारण हेतु नियत है। पक्षकारों द्वारा संधिपत्र का0सं0 31क1 प्रस्तुत कर वाद का निस्तारण संधिपत्र के आधार पर किए जाने की याचना की गई है।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि वादिनी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्व प्रस्तुत वाद बैनामा निरस्तीकरण व शाश्वत व्यादेश के अनुतोष हेतु योजित किया गया था, जिस पर प्रतिवादी उपस्थित आये। प्रतिवादी द्वारा वादोत्तर का0सं0 18क1 मय शपथपत्र 19ग2 प्रस्तुत किया गया तथा उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर वाद बिन्दु विरचित कर प्रारम्भिक वाद बिन्दुओं का निस्तारण कर पत्रावली साक्ष्य वादिनी हेतु नियत की गयी। पत्रावली पर वादिनी का साक्ष्य का0सं0 29क1 पी0डब्लू0 1 के रुप में व प्रतिवादी का साक्ष्य का0सं0 30क1 डी0डब्लू01के रूप में अंकित किया गया। पक्षकारों द्वारा अन्य कोई साक्ष्य न देने का पृष्ठाकंन आदेशपत्रक पर किया गया। तत्पश्चात् पक्षकारों द्वारा संधिपत्र का0सं0 31क1 दाखिल किया गया। संधिपत्र की शर्तो को पक्षकारों को पढ़कर सुनाया गया। पक्षकारों की शिनाख्त उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा संधिपत्र के पृष्ठ पर की गई। संधिपत्र पर पक्षकारों के छाया चित्र चस्पा हैं तथा उनके हस्ताक्षर/अंगूठा निशान अंकित है। पक्षकारों द्वारा संधिपत्र की शर्तो पर अपनी सहमति प्रदान की गई व निवेदन किया गया कि संधिपत्र के आधार पर मुकदमें का निस्तारण कर दिया जाय। संधिपत्र तदनुसार तस्दीक किया गया। अतः प्रस्तुत वाद संधिपत्र 31क1 के आधार पर निर्णीत किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत प्रा0 दी0 वाद संख्या 833/2015 संधिपत्र कागज सं0 31क1 के आधार पर निर्णीत किया जाता है। संधिपत्र कागज सं0 31क1 निर्णय का अंग रहेगा। उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेगें। प्रस्तुत संधिपत्र का प्रभाव वादपत्र में योजित अनुतोष के सम्बन्ध में केवल पक्षकारों के मध्य ही होगा तथा उक्त संधिपत्र पर रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 के प्राविधान लागू होगें।

बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

सिविल जज(जू0डि0),
लखीमपुर–खीरी।